न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्याः 47 / 2020

"एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड"
मुख्य व्यवसायिक कार्यालयः– 321, एस एम लोडा कॉम्प्लेक्स,
शास्त्री सर्कल, उदयपुर

.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1) श्री राजु राजानी पुत्र श्री दुल्हानो मल राजानी जाति सिंधी,
निवासीः– 2 / 21, हाउसिंग बोर्ड क्वाटर, डबल स्टोरी, सेक्टर 3, जे0पी0 नगर,
नाका मदार, जिला अजमेर (राज0) पिन नम्बर–305001
(2) श्रीमती हेमलता राजानी पत्नी श्री दुल्हानो मल राजानी जाति सिंधी
निवासीः– 2 / 21, हाउसिंग बोर्ड क्वाटर, डबल स्टोरी, सेक्टर 3, जे0पी0 नगर,
नाका मदार, जिला अजमेर (राज0) पिन नम्बर–305001
(3) श्री जयेश राजानी पुत्र श्री दुल्हानो मल राजानी जाति सिंधी
निवासीः– 2 / 21, हाउसिंग बोर्ड क्वाटर, डबल स्टोरी, सेक्टर 3, जे0पी0 नगर,
नाका मदार, जिला अजमेर (राज0) पिन नम्बर–305001
(4) श्री अशोक कुमार नारनोलिया पुत्र श्री चंद्र लाल
निवासीः– 2 / 107, हाउसिंग बोर्ड क्वाटर, सेक्टर 3, जे0पी0 नगर,
नाका मदार, जिला अजमेर (राज0) पिन नम्बर–305001
(5) श्री खेम चंद्र सोनी पुत्र श्री नारायण दास
निवासीः– 2 / 59, हाउसिंग बोर्ड क्वाटर, सेक्टर 3, जे0पी0 नगर,
नाका मदार, जिला अजमेर (राज0) पिन नम्बर–305001

.....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– अवतार सिंह उप्पाल — अभिभाषक प्रार्थी

आदेश — दिनांक 28.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण 01 लगायात 04 को दिनांक 17.03.2017 को रू. 3,00,000 / – (अक्षरे तीन लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर जे0पी0 नगर, नाका मदार जिला अजमेर स्थित हाउसिंग बोर्ड, सम्पति 2 / 21, ब्लॉक नं0 2 (फर्स्ट फ्लोर), क्षैत्रफल 270.93 वर्ग फीट भूमि भवन, एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जो श्रीमती हेमलता राजानी पत्नी श्री दुल्हानो राजानी जाति सिंधी के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाऐं – पूर्व में– 9 मी0 चौडा आम रास्ता, पश्चिम में– मकान नं0 2 / 22, उत्तर में– कॉमन स्पेस व नाल, दक्षिण में– मकान नं0 2 / 15, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 21.05.2018 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 13.09.2018 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 3,36,016.77/– (अक्षरे तीन लाख छत्तीस हजार सोलह रूपये एवं सत्तहर पैसा मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक जे0पी0 नगर, नाका मदार जिला अजमेर स्थित हाउसिंग बोर्ड, सम्पति 2/21, ब्लॉक नं0 2 (फर्स्ट फ्लोर), क्षैत्रफल 270.93 वर्ग फीट भूमि भवन, एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जो श्रीमती हेमलता राजानी पत्नी श्री दुल्हानो राजानी जाति सिंधी के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाऐं – पूर्व में– 9 मी0 चौडा आम रास्ता, पश्चिम में– मकान नं0 2/22, उत्तर में– कॉमन स्पेस व नाल, दक्षिण में– मकान नं0 2/15, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 28.01.2020 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner